आदेश

याचिकाकर्त्ता श्याम कुमार द्वारा पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 18506/17 दायर किया गया था। सुसंगत वाद में दिनांक 03.05.2018 को पारित न्याय निर्णय का प्रभावी अंश निम्नवत है:

"........................., in view of the aforesaid, the Respondents are directed to consider the case the petitioner for grant of promotion within a period of six weeks from today and pass a reasoned and speaking order,,

उक्त न्याय निर्णय के आलोक में याचिकाकर्त्ता सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक श्री श्याम कुमार को पुलिस निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति के दावों पर विचारण हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के पत्रांक 1134/सा0शा0, दिनांक 08.10.18 द्वारा प्राप्त मनोनयन के आलोक में पुलिस महानिदेशक पर्षद द्वारा दिनांक 08.01.2019 को उनके सेवा अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि याचिकाकर्त्ता हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर महानिदेशक पर्षद ने श्री कुमार को प्रोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया है।

अतः श्री श्याम कुमार के प्रोन्नति के दावे को नियमानुसार असंगत पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है।

पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार,

पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 81/912400 /पी-1
4 9 10 18
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दि. 15/2/19

प्रतिलिपि:

1. सभी सम्बन्धित पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेलवे एवं सभी इकाई सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय),
बिहार, पटना।

CWJC 54305/2019